(भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड-3, उपखड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2016

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण संबंधी कराधान और विनिधान व्यवस्था योजना नियम, 2016

का.आ.4059(अ).- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 199द की उपधारा (1) और धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-

(1). इन नियमों का संक्षिप्त नाम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण संबंधी कराधान और विनिधान व्यवस्था योजना नियम, 2016 है।

(2). ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएं-

(1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या तद्धीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उनके इन अधिनियमों या नियमों में हैं ।

3. लेखे में नकदी या निक्षेप के प्ररूप में आय की घोषणा-

(1) धारा 199ग की उपधारा (1) अधीन विनिर्दिष्ट अस्तित्व के पास रखे गए लेखा में नकदी या निक्षेप के प्ररूप में आय की घोषणा प्ररूप 1 में की जाएगी ।

(2) घोषणा धारा 199छ की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित यथास्थिति प्रधान आयुक्त या आयुक्त को.-

(क) डिजिटल हस्ताक्षर से इलैक्ट्रानिक रूप में ; या

(ख) इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप में आंकड़ा पारेषण के माध्यम से ; या

(ग) प्रिंट प्ररूप में,

प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) यदि किसी व्यक्ति को उपनियम (2) के अधीन घोषणा प्रस्तुत किए जाने पर, उसमें किसी लोप या किसी गलत कथन का पता चलता है तो वह धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन घोषणा फाइल करने के लिए अधिसूचित तारीख को या उसके पूर्व पुनरीक्षित घोषणा प्रस्तुत कर सकेगा ।

(4) यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त उस मास, जिसमें धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन विधिमान्य घोषणा प्रस्तुत की गई है, की समाप्ति से तीस दिन के भीतर घोषणाकर्ता को प्ररूप-2 में प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(5) आयकर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) आंकड़ों के सुरक्षित रखरखाव और पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं, रूपविधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और उपनियम (2) या उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट रीति में प्ररूप प्रस्तुत करने के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय तथा पुन:प्रापण विषयक नीतियों को विकसित करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

स्पष्टीकरण-- इस नियम के प्रयोजनों के लिए "इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड" से आयकर प्रधान महानिदेशक(प्रणाली) या आयकर महानिदेशक(प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट आंकड़ा संरचना तथा मानकों के अनुसार आय की विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक सत्यापन के प्रयोजन के लिए सृजित कोड़ अभिप्रेत है ।

प्ररूप-1

[नियम 3(1) देखिए]

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण संबंधी कराधान और विनिधान व्यवस्था योजना नियम, 2016 के संबंध में वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 199ग के अधीन

घोषणा का प्ररूप

सेवा में,

प्रधान आयुक्त/आयुक्त

....

महोदय/महोदया,

मैं वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 199ग के अधीन घोषणा करता हूं । मैं नीचे आवश्यक विशिष्टियां प्रस्तुत करता हूं-

1. घोषणाकर्ता का नाम
2. पता कार्यालय...

   .... दूरभाष................

   निवास स्थान ....

   ....

   मोबाईल सं.................दूरभाष सं........................ई-मेल..............
3. स्थाई लेखा संख्यांक(पीएएन)

(यदि स्थाई लेखा संख्यांक नहीं रखा जाता है ....

तो कृपया स्थाई लेखा संख्यांक के लिए

आवेदन करे और आवेदन की तारीख तथा

अभिस्वीकृति संख्या का उल्लेख करे)

4. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार संख्या (यदि उपलब्ध है)

5. घोषणाकर्ता की प्रास्थिति

(क) क्या व्यष्टिक, हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब, फर्म, कम्पनी आदि है................

(ख) क्या निवासी या अनिवासी या मामूली तौर पर निवासी नहीं है...............

6. फाइल करने की प्रास्थिति

(क) क्या घोषणा ...... मूल है .... या पुनरीक्षित है

(ख) यदि पुनरीक्षित है-

(i) मूल प्ररूप 1 की प्राप्ति सं0 और फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष) / / /

(ii) पुनरीक्षित घोषणा के लिए कारण (सौ शब्दों से अनधिक) ....

7. (क) घोषित अप्रकटित आय की कुल रकम ....

(ख) उपरोक्त (क) में से,--

(i) नकद रूप में धारित रकम .... रु0

(ii) बैंक खाते/डाकघर खाते आदि में जमा रकम के ब्यौरे :

क्रम सं0	खाता संख्या	बैंक/डाकघर आदि का नाम	शाखा नाम	आई.एफ.एस.सी. कोड/कोई अन्य पहचान कोड	रकम (रु0 में)
				योग	

8. उस पर संदेय कर [मद 7(क) के 30% की दर पर] .... रु0

9. उस पर संदेय अधिभार [मद 8 के 33% की दर पर] .... रु0

10. उस पर संदेय शास्ति [मद 7(क)के 10% की दर पर] .... रु0

11. संदेय कर, अधिभार और शास्ति का योग [8+9+10] .... रु0

12. घोषणा की तारीख को या उससे पहले संदत्त रकम के ब्यौरे .... रु0

(संदाय का सबूत संलग्न करें और नीचे ब्यौरे दें)

क्रम सं0	बैंक का बी.एस.आर. कोड	निक्षेप की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	चालान की क्रम सं0	रकम (रु0)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

13. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा स्कीम, 2016 में जमा रकम के ब्यौरे

(जमा का सबूत संलग्न करें और नीचे ब्यौरे दें)

(i) जमा की गई रकम

[न्यूनतम जमा रकम, मद 7(क) का 25% है] .... रु0

(ii) जमा की तारीख ....

(iii) अभिस्वीकृति/जमा निर्देश सं0 ....

(iv) अस्तित्व, जिसमें जमा किया जाता है, की शाखा का नाम और ब्यौरे ....

<u>सत्यापन</u>

मैं, ... (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... (पिता/पति का नाम) सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं कि,--

(क) इस घोषणा में दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है ;

(ख) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के संबंध में वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 199ण के खंड (क) के उपबंध मुझ पर लागू नहीं होते हैं ;

(ग) भारतीय दंड संहिता, स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, बेनामी संपत्ति संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 और धन शोधन (निवारण) अधिनियम, 2002 के संबंध में वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 199ण के खंड (ख) के उपबंध मुझ पर लागू नहीं होते हैं ;

(घ) मैं विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन अधिसूचित नहीं किया गया हूं ;

(ङ) घोषित आय काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अधीन कर से प्रभार्य नहीं है ;

मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं .... (पद) के रूप में अपनी हैसियत से यह घोषणा कर रहा हूं और मैं इस घोषणा को करने के लिए तथा इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं ।

....

(हस्ताक्षर)

स्थान..........
तारीख ....

प्ररूप 2

[नियम 3(4) देखिए]

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण संबंधी कराधान और विनिधान व्यवस्था योजना नियम, 2016 की बाबत वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 199ग के अधीन घोषणा का प्रमाणपत्र

आय-कर प्रधान आयुक्त/आयुक्त का कार्यालय
....
....

यह अभिस्वीकृति की जाती है कि वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 199ग के अधीन घोषणा को निम्नलिखित की बाबत प्रतिगृहीत किया गया है :

1) घोषणाकर्ता का नाम और पता ....
....
....
....

2) पुत्र/पुत्री/पत्नी ....

3) स्थायी खाता संख्यांक (पैन) ....

4) रसीद संख्या और घोषणा फाइल करने की तारीख ....

5) प्ररूप-1 के अनुसार घोषणा के ब्यौरे

(क) अप्रकटित घोषित आय की कुल रकम ....रु0

(ख) पूर्वोक्त (क) में से

(i) नकद रखी गई रकम ....रु0

(ii) बैंक खाता/डाकघर खाता, इत्यादि में जमा की गई रकम के ब्यौरे

क्र.सं.	खाता संख्यांक	बैंक खाता/डाकघर खाता, इत्यादि का नाम	शाखा का नाम	आईएफएससी कोड/कोई अन्य पहचान कोड	रकम (रु0 में)

			योग	

(ग) अप्रकटित घोषित आय पर
संदत्त कर, अधिभार और शास्ति ....रु0

(घ) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा स्कीम, 2016
में जमा की गई रकम के ब्यौरे

(i) जमा की गई रकम ....रु0

(ii) जमा किए जाने की तारीख ....रु0

(iii) अभिस्वीकृति/जमा संदर्भ सं0 ....रु0

(iv) अस्तित्व की उस शाखा के नाम
और ब्यौरे, जिसमें जमा किया गया है ....

तारीख ....

(आय-कर प्रधान आयुक्त/आयुक्त)

अधिसूचना सं0 **116**/2016, फा0सं0142/33/2016-टीपीएल

(डा0 टी.एस.मपवाल)

अवर सचिव, भारत सरकार